



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272343
CG-DL-E-08052026-272343

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2229]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2320(अ).— केंद्रीय सरकार, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संहिता की धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन इसमें निहित शक्ति को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को उसकी अधिकारिता में कार्यों के निर्वहन के लिए प्रत्यायोजित करती है।

[फा. सं. एस-11025/12/2026-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2320(E).—In exercise of the powers conferred by section 100 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Central Government hereby delegates its powers to the Regional Labour Commissioner (Central) within the jurisdiction to discharge the functions, the power vested in it under sub-section (1) of section 59 of the said Code.

[F. No. S-11025/12/2026-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.